उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 18.10.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 18.10.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.10.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति फेज–5.0 के तहत महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता अभियान — महोबा पुलिस का संवेदनशील प्रयास...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में संचालित “मिशन शक्ति फेज–5.0” अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के उद्देश्य से विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएँ एवं संवाद सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

जिसके क्रम में आज दिनांक- 18.10.2025 को जनपद के समस्त थानों में नियुक्त मिशन शक्ति पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत स्कूलों एवं कालेजों में जाकर स्कूली छात्रों को आत्मरक्षा, सुरक्षा अधिकारों तथा साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रमों के दौरान छात्राओं को ‘गुड टच’ व ‘बैड टच’ की पहचान, आत्मरक्षा के सरल उपाय तथा महिला सम्बन्धी अपराधों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।

साइबर अवेयरनेस कैम्पेन — डिजिटल युग में सुरक्षा की ओर कदम

मिशन शक्ति कार्यक्रम के साथ-साथ महोबा पुलिस द्वारा “साइबर अवेयरनेस कैम्पेन” भी संचालित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को साइबर अपराधों के प्रकार, उनसे बचाव के उपाय, साइबर फ्रॉड की पहचान, फेक लिंक/ओटीपी धोखाधड़ी से सतर्क रहने की जानकारी दी गई।

इस दौरान नागरिकों को साइबर अपराध की शिकायत हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन नम्बर 1930 एवं पोर्टल www.cybercrime.gov.in के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1090 – वीमेन पावर लाइन 181 – महिला हेल्पलाइन 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा 102 – गर्भवती महिलाओं/नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा 108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन 101 – अग्निशमन सेवा 1930 – साइबर हेल्पलाइन

अभियान का उद्देश्य

मिशन शक्ति फेज–5.0 एवं साइबर अवेयरनेस कैम्पेन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन, डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता, तथा समाज में महिला सम्मान की भावना को सशक्त बनाना है।

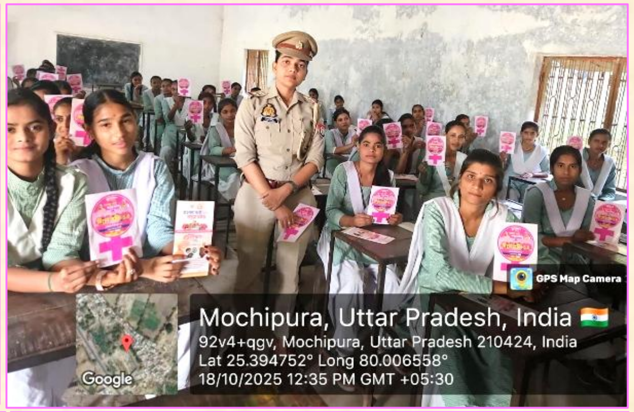

महिला थाना मिशन शक्ति टीम द्वारा साइबर अपराधों से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित..।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में संचालित "मिशन शक्ति फेज–5.0" अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 18.10.2025 को महिला थाना मिशन शक्ति टीम द्वारा साइबर जागरूकता अभियान के तहत रोडवेज बस डिपो, महोबा में एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में महिला पुलिस कर्मियों एवं रोडवेज कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को साइबर अपराधों एवं उनसे बचाव के उपायों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

टीम द्वारा बताया गया कि इंटरनेट और मोबाइल के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल माध्यमों पर सतर्कता एवं जिम्मेदारी से कार्य करना आवश्यक है। प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड की स्थिति में साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत दर्ज की जा सकती है।

गोष्ठी के दौरान उपस्थित लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रमुख बिंदुओं के संबंध में जागरूक किया गया —

- अपना OTP, PIN, पासवर्ड या बैंक विवरण किसी के साथ साझा न करें।
- किसी अज्ञात लिंक, वेबसाइट या QR कोड पर क्लिक या स्कैन न करें।
- सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी (फोटो, पता, मोबाइल नंबर आदि) सार्वजनिक न करें।
- ऑनलाइन खरीदारी या भुगतान हेतु केवल विश्वसनीय वेबसाइट/ऐप का उपयोग करें।
- बैंक या सरकारी संस्था के नाम से आए कॉल/मैसेज की पुष्टि सीधे संबंधित संस्था से करें।
- अनजान व्यक्ति से ऑनलाइन वीडियो कॉल, चैट या फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।
- मजबूत पासवर्ड बनाएं और समय-समय पर बदलते रहें।
- सार्वजनिक Wi-Fi का प्रयोग करते समय किसी वित्तीय लेन-देन से बचें।
- मोबाइल एवं कंप्यूटर में सिक्योरिटी अपडेट और एंटीवायरस अवश्य रखें।
- किसी भी प्रकार के साइबर अपराध या ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत शिकायत करें और स्क्रीनशॉट जैसे साक्ष्य सुरक्षित रखें।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में डिजिटल सुरक्षा, साइबर सतर्कता एवं जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

शस्त्र अधिनियम के अभियोग में आरोपी अभियुक्त को किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा शस्त्र अधिनियम के अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि तक की सजा व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना खरेला में पंजीकृत मु0अ0सं0 75/2011 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त राजकुमार पुत्र ध्रुवराम खंगार निवासी ग्राम उजनैडी थाना चरखारी जनपद महोबा को जेल में बिताई गई अवधि तक की सजा व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

महमुर्दुरहमान
सहायक अभियोजन अधिकारी

आ0. धर्मवीर यादव
पैरोकार थाना खरेला